

आज पपपली पेस डू हो यह धारणा पर तहसीलदार
 शिवाजी की ओर से अटॉर्नी धाय 1362R #01
 इन रूपों के साथ पेस फिल है कि ग्राम गुनपुर
 तहसील शिवाजी के वल संख्या 290 के वल न
 1156 संख्या 13वीं अक्टू पर वर्तमान जातकी
 सं. 2072-75 के निम्नलिखित के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट
 नही है। निम्नलिखित में यह अपाधि वल
 देखा है। निम्नलिखित सं. 2022 के डिस्ट्रिक्ट
 से पूर्व का रिपोर्ट अवसोफन करने के उपरान्त
 एक आर्किवाइव लुफ की जातकी के रिपोर्ट का
 अवसोफन करने के उपरान्त रिपोर्ट पत्रक सं
 1156 का पर वल न के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट करते
 हुए, साइवाइड पर वादशाह डि. 1/24, मंगाराम
 जसवन्त, वादशाह, सं. 2 घुवक डि. 1/8,
 कोणारिड पर रामशिंह डि 1/12, पुताप शिंह,
 डाकिम शिंह, रामवीर, मुफेस शिंह डि पोतना शिंह
 डि. 1/15, अर्जुन शिंह पर वरुणा शिंह व गांधी
 पत्नी प्रम शिंह डि 1/60 सा गोपाल पुत्र, नारायण शिंह
 पर डाकिम शिंह डि 1/6 अजमेरा शिंह पर वरुणा
 डि 1/6 कोम अकूत व कास्तुरी पत्नी मंगवान शिंह,
 कल्याण शिंह, अशोक परपोसा रामबाहेन, पत्नी
 पुत्र मंगवान शिंह डि. 1/3 को वल सा देह
 वल न के रिपोर्ट करना पुरावों किम है।

इसने पपपली का अवसोफन लुफ उल्लेख
 शिवाजी रिपोर्ट एक रिपोर्ट पत्रक सं. 2072-75
 गौत किम। इस धारणा पर का तहसील के सहाय
 है। अतः धारणा पर (शिवाजी किम) पाठ उचित
 समझते हैं।

इस अटॉर्नी के ग्राम गुनपुर
 तहसील शिवाजी की जातकी सं. 2072-75
 के वल संख्या 290 के वल नंबर 1156
 संख्या 13वीं अक्टू पर वर्तमान जातकी
 डिस्ट्रिक्ट इस उल्लेख से पूर्व रिपोर्ट के रिपोर्ट डि
 पाठ कि साइव शिंह पर वादशाह डि. 1/24,
 मंगाराम, जसवन्त, वादशाह डि. 1/24,
 1/8, कोणारिड पर रामशिंह डि 1/12

उपरोक्त जातकी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

शाहिब सिंह, रामवीर, मुफ्फ्त सिंह पोखन
सिंह दि. व. 1/5, अजुन सिंह उरुवरन
सिंह व गाफ्फ़ी पत्नी बरन सिंह दि. 1/60
सु गोपाल प्रसा, नारायण सिंह उरु डाहि
सिंह दि. 1/6, अजमेर सिंह उरु कपपा
दि. 1/6 कौम उरु व, फास्तुरी पत्नी
भगवान सिंह व, फाल्गुन सिंह अशोक
परशोत्तम, रामलक्ष्मीन, एदल सिंह उरु व
भगवान सिंह दि. व. 1/3 कौम प्राध्या स
देह (वाटदार)। अस्तानुसार रामस
रिफाई व इल्लोकी पाकर दिसे दप दिने
पावे। नई सीमापूर रामाका का डाफे पावे
है। पकवली फिदा अंगार देकर वा
नकलील आके अहठ है। हुकम सुनाया
गया।

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)